न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 02/2018

अनवान : –

1. शकुन्तला पुत्री लादूराम पत्नी सन्तलाल जाति जाट साकिन सोनड़ी तहसील नोहर हाल ललानाबास दिखनादा तहसील नोहर।

– सायला

बनाम्

1. नत्थुराम
2. धन्नाराम
3. मनीराम

पुत्रगण इन्द्राज जाति जाट साकिन सोनड़ी तहसील नोहर।

4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर तहसील नोहर।
5. उप पंजीयक नोहर तहसील नोहर।

– गैरसायालान

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट.

उपस्थिति :– श्री विजयसिंह कड़वासरा अधिवक्ता **प्रार्थीया**
श्री राजपाल झोरड़ अधिवक्ता **अप्रार्थी स0 1**

निर्णय दिनांक: 29/12/23

संक्षेप में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीया ने यह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया गया है कि रामा पुत्र कानाराम जाति जाट साकिन सोनड़ी तहसील नोहर की पैदा करदा व कब्जा काश्त की खातेदारी आराजी खसरा न0 86 की 3.00, 197 की 58.11 वाके रौही मौजा सोनड़ी तहसील नोहर है।

उपरोक्त वाद भूमि संयुक्त हिन्दु परिवार की पैदा कर्ता कृषि भूमि है। पैमायश हाल में खसरा न0 84 की 16.01 ख0न0 85 की 15.03 बीघा व खसरा न0 401 की 12.10 बीघा व खसरा न0 402 की 15.11 बीघा खसरा न0 430 की 4.09 बीघा खसरा न0 530 की 1.05 बीघा ख0 न0 532 की 5.07 बीघा व खसरा न0 533 की 18.06 बीघा, खसरा न0 547 की 16.04 बीघा व खसरा न0 675 की 20.16 बीघा कुल तादादी 125.14 बीघा वाके रोही मौजा सोनड़ी तहसील नोहर व खसरा न0 62 की 21 बीघा यानि 5.058 हैक वाके रोही सोनड़ी तहसील नोहर में परिवर्तित हो गई। उक्त भूमि बाद वफात रामा पुत्र कानाराम क चार लड़को इन्द्राज, हेमराज, सन्तलाल व परमाराम पर बहिस्सा बराबर औद हुई तथा उन चारों भाईयों ने अपने अपने हिस्सा की भूमि को अपने हक व हिस्से [illegible] करवा लिया। उक्त भूमि इन्द्राज पुत्र रामा पर बतौर कर्ता औद [illegible] खसरा न0 400/1 की 0.7590है0 व खसरा न0 402 की 3.440हैक व खसरा न0 430 [illegible] की 0.8730हैक, खसरा न0 530/2 की 0.2150हैक, ख0न0 532 की 1.3350हैक, खसरा न0 5[illegible]/1 की 1.2650है0, [illegible] न0 547/1 की

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2024.01.06 15:44:11 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

0.3160हैक् कुल तादादी 8.2210हैक् वाके रोही मौजा सोनड़ी तहसील नोहर व खसरा न0 62/1 की 5.058हैक् वाके रोही मौजा सोनड़ी तहसील नोहर है। उपरोक्त कृषि भूमि पैतृक कृषि भूमि है तथा उक्त भूमि इन्द्राज पुत्र रामा के नाम बतौर संयुक्त हिन्दु परिवार दर्ज हुई है तथा उक्त भूमि में इन्द्राज के चारों लड़को लादूराम, नत्थुराम, मनीराम, धन्नाराम का पैदायशी यानि की जन्मजात हिस्सा है तथा उक्त भूमि में चारों का बहिस्सा बराबर हर एक का 1/5 हिस्सा के मुश्तरका खातेदार काश्तकार हुये। इन्द्राज के लड़के लादूराम के फौत हो जाने पर उनके अन्य लड़को नत्थुराम, मनीराम व धन्नाराम के साथ रहता था वह नत्थुराम आदि व उनके लड़को के दबाव में था तथा उन्होंने नजायज दबाव डालकर पैतृक सम्पति की वसीयत करवा ली जबकि उक्त समस्त भूमि की वसीयत करने का इन्द्राज को कोई अधिकार नही था तथा ना ही वसीयत में अपने मृतक पुत्र लादुराम का कोई हवाला दिया है तथा ना ही उसकी वारिस सायला को छोड़कर वसीयत करवाने का कोई कारण अपनी वसीयत में दर्ज करवाया है तथा वसीयत सन्देहास्पद परिस्थितियों में करवाई है तथा पैतृक सम्पति की वसीयत हक ज्यादा नही हो सकती है तथा वसीयत दिनांक 10.01.2022 से गैर सायलान को कोई काश्तकारी अधिकार प्राप्त नही है। गैरसायल न0 1 ता 3 ने अपने नाम उक्त पैतृक कृषि भूमि की वसीयत करवा ली जो वसीयत दिनांक 10.01.2002 सायला के हकूके खिलाफ प्रभावहीन है तथा उक्त शुन्य वसीयत से गैर सायलान न0 1 ता 3 को कोई टेनेन्सी राईट नही होते मगर दिनांक 11.08.2009 को अमला तहसील नोहर से साजकर समस्त विवादित भूमि का वसीयत के आधार पर जरिये इंतकाल स0 1833 कतई नाजायज अपने नाम दर्ज करवाली तथा उक्त गलत इंतकाल से सायला के खातेदारी हकूक का हनन होता है। जिससे सायला अपने हकूक की घोषणा करवाकर जमाबंदी दुरूस्त कर अपने आपको 1/5 हिस्सा गैरसायलान न0 1 ता 3 को बहिब हर एक को 4/15 हिस्सा का मुश्तरका खातेदार दर्ज करवा पाने की अधिकारी है। उक्त वाद भूमि को गैरसायल रहन, बैय व मुन्तकिल करने की योजना बना रहे है जिससे गैर सायलान को अपूर्णीय क्षति होगी। अत प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि ताफैसला दावा गैरसायलान के खिलाफ इस अमर की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी कि जावें की वे उक्त वादग्रस्त भूमि को किसी अन्य को रहन, बैय व मुन्तकिल न करें एवं मौका एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाए रखे।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। रोही मौजा सोनड़ी के खाता स0 239/38 के खसरा न0 401/1 की 0.7590हैक्, खसरा न0 402/2 की 3.440हैक्, खसरा न0 430/2 की 0.8730हैक्, ख0न0 530/2 की 0.2150हैक्, ख0न0 532 की 1.3530हैक्, ख0न0 533/1 की 1.2650हैक्, ख0न0 547/1 की 0.3160हैक् कुल 8.2210हैक् व रोही मौजा सोनड़ी के खसरा न0 62/1 की 5.0580हैक् भूमि की अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आशय की जारी की गई की अप्रार्थीगण उक्त वाद भूमि में से प्रार्थीगण के हक हिस्सा की भूमि का बेचान न करे।

अप्रार्थी स0 1 की और से अधिवक्ता श्री राजपाल झोरड़ ने वकालतनामा पेश किया। अप्रार्थी स0 2 व 3 को नोटिस सम्यक रूप से तामिल होने के उपरान्त भी न्यायालय में उपास्थित नही आने पर एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी स0 1 की ओर से जरिये अधिवक्ता जवाब प्रार्थना पेश हुआ। जवाब प्रार्थना पत्र मे प्रार्थना पत्र की मदों को अस्वीकार करते हुए जवाब में अंकित किया की लादुराम की मृत्यु इन्द्राज से पहले हो गयी थी तब लादुराम के कोई संतान नही थी तो सायला को छुपाने का कोई कारण नही दिया था।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2024.01.06 15:44:11 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

गैरसायल व उसके भाईयों के पक्ष में कि गई वसीयत सही व साधिकार है तथा आज तक उस वसीयत को किसी के द्वारा किसी न्यायालय में चैलेंन्ज नही किया गया है। सायला का उक्त वाद भूमि मे कोई हक हिस्सा नही है तो वह खाता व लगान अलग करवा पाने की भी अधिकारी नही है। इन्द्राज पुत्र रामा के चार लड़के नत्थुराम, मनीराम, धन्नाराम व लादुराम थे। लादुराम लाऔलाद फौत हो गया था उसकी पत्नी विधा ने मनीराम गैरसायल स0 1 के साथ करेवा लिया और विधा के मनीराम के नत्फे से सायला पैदा हुई इसलिए सायला मनीराम की भूमि मे ही अपना हक प्राप्त कर सकती है। सायला के द्वारा पूर्व में एक प्रार्थना पत्र दिनांक 05.12.2009 को पेश किया गया था जिसका निर्णय दिनांक 02.07.2010 को हो चुका है इसलिए अब सायला के द्वारा उसी भूमि का उन्ही पक्षकारों के मध्य दुबारा अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश किया गया है जो इसी नाकाबिले चलने योग्य है। अतः जवाब प्रार्थना पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र खारीज फरमावें।

बहस उभयपक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सुनी गई। हमने प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र, उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया व विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया। यह तथ्य तो वाद मे साक्ष्य सबूतों के आधार पर तय होगा की वाद भूमि में प्रार्थीया किसी प्रकार का हक हिस्सा प्राप्त करने की अधिकारी है या नही प्रार्थना पत्र में तो यह तय किया जाना है कि प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति के बिन्दु किसके पक्ष में है। अधिवक्ता प्रार्थी अपने तर्क की पुष्टि में माननीय न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत आर0बी0जे0 (19) 2012 पेज न0 26, आर0आर0डी 2002 पेज न0 744 व 745, आर0आर0डी0 1974 पेज न0 513 पेश कियें जिनका हमने ससम्मान अवलोकन कर मार्गदर्शी सिद्धान्त के रूप में उपयोग में लिया।

प्रार्थीया का यह कथन है कि इन्द्राज द्वारा पैतृक कृषि भूमि की वसीयत नत्थुराम, धन्नाराम व मनीराम के पक्ष मे कि गई है जबकि इन्द्राज के एक ओर पुत्र लाधुराम था उसके वारिसो के बिना उक्त वसीयत की गई है। जबकि प्रार्थीया द्वारा उक्त वसीयत की चित्रप्रति पेश की गई है लेकिन उक्त वसीयत के खंडन में कोई दस्तावेज पेश नही किया गया है। अधिवक्ता अप्रार्थी ने कथन किया है कि उक्त वाद भूमी बाबत न्यायालय हाजा में प्रकरण संख्या 144/2009 पेश किया गया था जिसमें रोही मौजा सोनड़ी के खसरा न0 401/1 की 0.759 हैक्ट, खसरा न0 402/2 की 3.4440 हैक्ट, खसरा न0 430/2 की 0.873, खसरा न0 530/2 की 0.215 हैक्ट, खसरा न0 532 की 1.353 हैक्ट, खसरा न0 533/1 की 1.265 हैक्ट, खसरा न0 547/1 की 0.316 हैक्ट कुल 8.221 हैक्ट व खाता संख्या 32/25 के खसरा न0 62/1 की कुल 5.058 हैक्ट वाद भूमि पर निषेधाज्ञा बाबत प्रार्थना पत्र पेश किया गया था न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 02.07.2010 को उक्त वाद भूमि के खसरा न0 62/1 की कुल 5.058 हैक्ट भूमि पर स्थगन आदेश ताफैसला दावा कन्फर्म किया गया था। प्रार्थीया ने पुनः दिनांक 03.01.2018 को प्रार्थना पत्र पेश कर उक्त सम्पूर्ण भूमि पर स्थगन आदेश जारी करवा लिया जो की नियमविरूद्ध है। पत्रावली एवं पत्रावली के संलग्न दस्तावेजों के अवलोकन से साबित है कि उक्त वाद भूमि बाबत पूर्व में न्यायालय में प्रार्थना-पत्र पेश किया गया था जिसमें केवल रोही मौजा सोनड़ी के खसरा न0 62/1 की वाद भूमि पर ही स्थगन आदेश ताफैसला दावा कन्फर्म किया गया था। प्रार्थीया द्वारा दुबारा उसी वाद भूमि पर स्थगन आदेश हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया गया है जो की न्यायोचित प्रतीत नही होता है। क्योंकि प्रार्थीया के न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.07.

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2024.01.06 15:44:11 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

2010 के विरूद्ध सक्षम न्यायालय में अपील कि जा सकती थी। जबकि प्रार्थीया द्वारा उक्त आदेश की अपील न कर पुनः इस न्यायालय में प्रार्थना पत्र पेश किया गया है जो की न्यायसंगत प्रतीत नही होता है। रोही मौजा सोनड़ी के खसरा न0 401/1 की 0.759 हैक्ट, खसरा न0 402/2 की 3.4440 हैक्ट, खसरा न0 430/2 की 0.873, खसरा न0 530/2 की 0.215 हैक्ट, खसरा न0 532 की 1.353 हैक्ट, खसरा न0 533/1 की 1.265 हैक्ट, खसरा न0 547/1 की 0.316 हैक्ट कुल 8.221 हैक्ट भूमि पर अप्रार्थीगण को स्थगन आदेश से पाबन्द किया जाना न्यायोचित नही है जबकि न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 02.07.2010 को रोही मौजा सोनड़ी के खसरा न0 62/1 की कुल 5.058 हैक्ट भूमि पर ताफैसला दावा स्थगन आदेश कन्फर्म किया गया है अतः खसरा न0 62/1 की कुल 5.058 हैक्ट भूमि पर स्थगन हटाया जाना भी उचित प्रतीत नही होता है। अतः प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीया के पक्ष में आंशिक साबित होता है। जब प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीया के पक्ष में आंशिक साबित है तो सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति भी प्रार्थीया के पक्ष में आंशिक साबित होते है।

इस प्रकार प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति इन तीनों ही तत्वों प्रार्थीया के पक्ष में आंशिक साबित होने के कारण प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार किया जाकर रोही मौजा सोनड़ी के खसरा न0 62/1 की कुल 5.058 हैक्ट भूमि पर दिनांक 02.07.2010 को न्यायालय हाजा द्वारा पारित आदेश यथावत रखा जाता है तथा न्यायालय द्वारा दिनांक 03.01.2018 को रोही मौजा सोनड़ी के खसरा न0 401/1 की 0.759 हैक्ट, खसरा न0 402/2 की 3.4440 हैक्ट, खसरा न0 430/2 की 0.873, खसरा न0 530/2 की 0.215 हैक्ट, खसरा न0 532 की 1.353 हैक्ट, खसरा न0 533/1 की 1.265 हैक्ट, खसरा न0 547/1 की 0.316 हैक्ट कुल 8.221 हैक्ट भूमि पर जारी स्थगन आदेश को निरस्त किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

यह निर्णय आज दिनांक 29/12/25 मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2024.01.06 15:44:11 IST
Reason: SelfAttested